THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The DDA proposes to auction plots in the month of December, 1992. There is no proposal, however, for the auction of flats.

(b) The following types of plots are scheduled for auction to be held by DDA in the month of December, 1992:

S. No.	Types of plots	No. of plots	Date of auction
1.	Commercial	10	28.12.1992
2.	Commercial	9	30.12.1992

Besides above, tenders have also been invited for allotment of 15 commercial plots. As per Rule 8 of DDA (Disposal of Developed Nazul Land) Rules, 1981 the commercial plots developed by the DDA are disposed of through auction/ tender.

Auction of residential plots pertaining to rehabilitation land has also been scheduled. These plots are disposed of by the DDA under Delhi Development Act, 1957.

(c) and (d) There is no proposal under consideration of the Government.

Allotment of D.D.A. flats to retired government employees

3994. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have any scheme under which the retiring/retired Government servants are being provided the Delhi Development Authority flats on cash or instalment basis; and

(b) if so, what are the details in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) There is no separate scheme under which retiring/retired Government servants are being provided Delhi Development Authority flats on cash or instalment basis. However, applications have been invited from time to time from the retired/retiring public servants registered under New Pattern Registration scheme, 1979 and S.F.S. housing schemes for priority allotments. Applications were last so invited in August, 1991.

विकलांग व्यक्तियों को आबंटित दुकानें/कियोस्क

3995. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उप-राज्यपाल के अनुकम्पा कोटे से पिछले छह मास में कितने विकलांग व्यक्तियों को कियोस्क/दुकानें आबंटित की गई हैं; और कितने-विकलांग व्यक्तियों को दुकानें आबंटित करने का विचार है;

(ख) क्या विकलांग व्यक्तियों को दुकानों के आबंटन हेतु सभी आवेदन उनके मंत्रालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन आवेदनों की संख्या क्या है और कितने विकलांग व्यक्तियों को पिछले छह माह में दुकानें आबंटित की गयी हैं;

(घ) समिति के समक्ष लंबित आवेदनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शेष विकलांग व्यक्तियों को दुकानें कब तक आबंटित कर दी जायेंगी; और

(ङ) ऐसे व्यक्तियों को दुकानों के आबंटन के लिए समिति ने क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले छः महीनों के दौरान अनुकम्पा आधार पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को कोई आबंटन नहीं किया गया है। अनुकम्पा आधार पर दुकानों के आबंटन हेतु 28 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों ने अभ्यावेदन दिया है। इन आवेदनों पर समिति द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को समिति के समक्ष रखे जाने के लिए भेजे गए शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सभी आवेदनों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई तथा जांच-पड़ताल की